तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.03.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 12 नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उनके के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार हैं और रिकार्डड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसका प्रार्थी हकदार भी है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माठें व सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह जाता है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबंदी आदेश प्रदान किया जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा हम विप्रार्थी को नाहक परेशान करने की नियत से मनगढंत तथ्यों पर आधारित यह आवेदन पेश किया है तथा यदि उक्त नेखमबंदी आदेश किया जाता है तो मौके पर भारी विवाद हो सकता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन झूठा एंव मनगढंत तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा आवेदन खारिज फरमाया जावें। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतावूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का रेकर्डेड खातेदार होने से अपनी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी बाबत् आवेदन पेश किया गया है जबकि विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आवेदन का जवाब पेश कर उक्त नेखमबंदी आवेदन प्रार्थी द्वारा गलत झूठे तथ्यों पर आधारित होना बताया गया है तथा मौके पर विवाद होना बताया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने से अपनी खातेदारी की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है तथा साथ ही यदि पक्षकारान् को कोई उजर एतराज है तो वे नेखमबंदी पालना के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जाटावास, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1230/514 रकबा 5.7843 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावें। कमिश्नर शुल्क 500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगें। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर विवाद होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावें। आवश्यकता होने पर **एस.एच.ओ. शिव** से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। **भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर** बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)	

Scanned with OKEN Scanner